न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **58/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/117

1. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी नगजीराम जी जाति डांगी उम्र–वयस्क, निवासी सालेरा कला तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

............वादीया

बनाम

1. श्री निरन्जन पुत्र शंकरलाल जी जाति महाजन उम्र–वयस्क, निवासी–सालेरा कलाँ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री पटवारी पटवार हल्का सालेरा कलाँ तहसील मावली जिला– उदयपुर (राज०)
3. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीया।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.07.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव सालेरा कलॉ पटवार हल्का सालेरा कलॉ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1716 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादीया का 4/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या–2 का 5/216 वा हिस्सा एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात विक्रय–पत्र से पूर्व में निरंन्जन पिता शंकरलाल जी के नाम पर 1/27 वे हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तत्पश्चात् प्रतिवादी सख्या–1 ने अपनी जायज जरूरीयात रूपयो की आवश्यकता होने से दिनांक 08.04.2024 को एक विक्रय–पत्र मुझ वादीया के पक्ष में निष्पादित करवाया जिसकी कलम सख्या–1 में प्रतिवादी संख्या–1 ने अपना 1/27 वां हिस्सा बताते हुऐ विक्रय–पत्र की कलम सख्या–3 में सम्पुर्ण विक्रय राशि प्राप्त करते हुऐ उक्त जमीन का बिकावनामा मुझ वादीया के पक्ष में निष्पादित कर दिया तब से मै वादीया कब्जे काश्त होकर खेती करती चली आ रही हूं।
2. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के पश्चात् ऑनलाईन सेग्रिगेशन के वक्त राजस्व कर्मचारीयों [illegible] पूर्वक मुझ वादीया द्वारा प्रतिवादी सख्या–1 की खरीदशुदा 1/27 वे हिस्से [illegible] भूमि का नामान्तकरण मुझ वादीया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में दर्ज नही कर उक्त वर्णित आराजीयात का 4/9 वा हिस्सा मुझ वादीया के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया, क्योकि विक्रय–पत्र दिनांक–08.04.2024 से मैने अन्य खातेदारो का हिस्सा भी क्रय किया था उनका हिस्सा मुझ वादीया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया, परन्तु प्रतिवादी सख्या–1 का 5/216 वा दर्ज कर दिया, जबकि मुझ वादीया ने प्रतिवादी सख्या–1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से प्रतिवादी सख्या–1 का सम्पुर्ण 1/27 वा हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और इसी अनुसार मैं वादीया उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं, प्रतिवादी सख्या–1 द्वारा अपना सम्पुर्ण हिस्सा विक्रय करने के उपरान्त प्रतिवादी सख्या–1 का कोई हिस्सा शेष नही रह जाता है, तथा मुझ वादीया के द्वारा प्रतिवादी सख्या–1 से उसका सम्पुर्ण 1/27 वा हिस्सा क्रय किये गये उक्त भूमि को विकसित करने में काफी नुकसान भी हो रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का मुझ वादीया का मौके पर प्रतिवादी राख्या 1 से क्रय किये गये 1/27 वे हिस्सों की भूमि पर कब्जा होने एवं उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक–08.04.2024 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में मैं वादीया प्रतिवादी सख्या–1 से क्रयशुदा 1/27 हिस्सा भूमि में वादीया अपने खातेदारी हक की घोषित कराने की अधिकारीणी हूं।

3. यह कि मुझ वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 05.03.2025 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादीया ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने बाद मुझ वादीया ने प्रतिवादी सख्या–1 को मेरे नाम पर पुनः शुद्धिकरण हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित होने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा मना करने पर वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीया सख्या–1 से 3 के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी सख्या–1 से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में वर्णित 1/27 हिस्सा भूमि को मुझ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादी सख्या–1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर मुझ वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश न करना चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादीया श्रीमती लोगरी बाई का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादीया द्वारा दस्तावेज मौजा सालेराकलां की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 225 प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.2024 पेज 1 से 9 प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2 ए करवाये गये। अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 225 पर दर्ज आराजी नम्बर 1716 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि में निरंजन पुत्र शंकरलाल के नाम 5/216 हिस्सा दर्ज है तथा शेष हिस्सा वादीया एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श 2 ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.2024 से वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में खातेदार कंचन बेन पत्नी रामचन्द्र महाजन, दिनेश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र महाजन, नारायण लाल पुत्र रामचन्द्र महाजन, मंजु पुत्री रामचन्द्र महाजन, ललित पुत्र रामचन्द्र महाजन, विद्या पुत्री रामचन्द्र महाजन, दिलखुश पुत्री शंकरलाल, निरंजन पुत्र शंकरलाल महाजन, भगवती पुत्र शंकरलाल महाजन, नुनराम उर्फ नन्दलाल महाजन के नाम दर्ज संयुक्त रूप से 11/36 हिस्से को क्रय किया गया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2072 पारित किया गया। विक्रय पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादीया लोगरी के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज 11/36 हिस्से अनुसार उक्त नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा पारित नही किया गया। राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित कर वादीया लोगरी बाई के नाम केवल मात्र 61/216 हिस्सा ही दर्ज किया गया। जबकि शेष 5/216 हिस्सा निरंजन पुत्र शंकरलाल के नाम ही खातेदारी हक यथावत रख दिया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/27 हिस्सा दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/27 हिस्से का विक्रय वादीया को कर दिया गया। परन्तु फिर राजस्व कर्मचारियो द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा वादीया के नाम दर्ज नही किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:02 IST
Reason: SelfAttested

को क्रय की गई है। क्रय की दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि में खातेदार हो चुकी थी। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार सम्पूर्ण हिस्से का अमल दरामद नही किया है। जबकि राजस्व कर्मचारियो को सर्वप्रथम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित करना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 भी बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, जिससे जाहीर होता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीया के नाम दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को यदि कोई आपत्ति होती तो वह अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित होता। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीया को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 225 पर दर्ज आराजी नम्बर 1716 रकबा 0.0809 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 निरंजन पुत्र शंकरलाल के नाम 5/216 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादीया लोगरी बाई पत्नी नागजीराम को 5/216 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादीया का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी नगजीराम जी जाति डांगी उम्र–वयस्क, निवासी सालेरा कला तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादीया

बनाम

1. श्री निरन्जन पुत्र शंकरलाल जी जाति महाजन उम्र–वयस्क, निवासी–सालेरा कलाँ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री पटवारी पटवार हल्का सालेरा कलाँ तहसील मावली जिला– उदयपुर (राज०)
3. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 58/25 (वाद) GCMS No. – 2025/117

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीया स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 225 पर दर्ज आराजी नम्बर 1716 रकबा 0.0809 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 निरंजन पुत्र शंकरलाल के नाम 5/216 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादीया लोगरी बाई पत्नी नागजीराम को 5/216 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त आदेशानुसार वादीया का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested